तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 84/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/185) बअनवान चन्द्रकंवर उर्फ सुंदर कंवर बनाम देवीसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

चन्द्रकंवर उर्फ सुन्दर कंवर

बनाम

देवीसिंह इत्यादि

उपस्थित

1. श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांट
2. मनोहरसिंह राठौड़, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. दो

आदेश

दिनांक 20.02.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2016 अनवान देवीसिंह बनाम श्रीमती चन्द्र कंवर उर्फ सुन्दर कंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 फरवरी 2021 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 अप्रैल 2021 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट को गोद लेने के तथ्य को अस्वीकार किया है तथा उसे अपना गोदपुत्र नहीं माना है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। गोदनामा के आधार पर वाद सिविल न्यायालय में पोषणीय है। कानूनन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस बिंदु पर विचार किये बिना ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी भूल की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीनी की तीन पुत्रियॉ भी है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उन्हें पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किय बिना तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदु पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है एवं अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। अपीलार्थीनी को अपनी भूमि का बेचान करने एवं उपयोग-उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की गई है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 फरवरी 2021 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट की पुश्तैनी भूमि है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक रजिस्टर्ड गोदनामा के जरिये स्व. नगसिंह का गोदपुत्र है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 21 अगस्त 1985 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक अपीलार्थीनी चन्द्र कंवर उर्फ सुंदर कंवर पत्नी नगसिंह का गोद पुत्र है। अद्यतन राजस्व रेकर्ड के मुताबिक अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 109

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 9.14 बीघा, खसरा नं. 9/4 रकबा 9.03 बीघा की खातेदार काश्तकार दर्ज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध बेचाननामों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थीनी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा के मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज परिवर्तन करने पर आमादा है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाकर रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 फरवरी 2021 को यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर